न्यायालय–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, नवादा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–872/2026

(परिवाद पत्र सं0 – 568/2025)

अन्तर्गत धारा–498(ए) भा.द.वि. एवं 3/4 डी.पी.एक्ट.

भुषण शर्मा एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
04.05.2026	प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदक अभियुक्तगण **भुषण शर्मा एवं बेवी देवी उर्फ गीता देवी** की ओर से परिवाद पत्र सं0–568/2025 अन्तर्गत धारा–498(ए) भा.द.वि. एवं 3/4 डी.पी.एक्ट. में दाखिल किया गया है जिसमें उन्हें गिरफ्तार होने की आशंका है। आवेदन की प्रति अभियोजन को दी गयी है। अभिलेख पर टी.सी.आर. उपलब्ध है। अभियोजन का केस संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादिनी की शादी हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक 23.04.2024 को अभियुक्त राकेश शर्मा के साथ हुई थी। शादी के समय उसके पिता के द्वारा उपहार स्वरूप 15 भर चांदी का आभूषण 02 भर सोने का आभूषण तथा अन्य सभी घरेलु सामान दिया। उसके बावजूद परिवादिनी से उसके ससुराल वाले दहेज के रूप में दो लाख रूपये एवं एक मोटरसाइकिल की मांग करने लगे, नहीं देने पर उसके साथ उसके ससुराल वाले सभी मिलकर गाली–गलौज, मारपीट एवं तरह–तरह से प्रताड़ित करने लगे। अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण कुमार एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्रीमती तबस्सुम मेहर को सुना। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण की ओर से प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदकगण परिवादिनी के पति को छोड़कर सभी उसके ससुराल वाले है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप असत्य एवं बनावटी है। आवेदकगण धारा–482(2) बी.एन.एस.एस. में दिये गये सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है। आवेदकगण विद्वान न्यायालय के आदेशानुसार बंधपत्र भरने को तैयार है। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से यह विदित होता है कि यह वाद धारा–498(ए) भा.द.वि. एवं 3/4 डी.पी.एक्ट. के अंतर्गत दर्ज किया गया है। आवेदकगण परिवादिनी के सास एवं ससुर है एवं इनके विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप सामान्य व सर्वव्यापी है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अंतिल बनाम् सी.बी.आई एवं अरनेश कुमार बनाम् बिहार सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। आवेदकगण **भुषण शर्मा एवं बेवी देवी उर्फ गीता देवी** को इस आदेश के तिथि से 30 दिन के अन्दर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म–समर्पण करने पर या गिरफ्तार होने पर उसके द्वारा 10,000/–(दस	

लगातार..... 04.05.2026	हजार) रूपये की समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ धारा–482(2) बी.एन.एस. के प्रावधान के शर्तो का पालन करते हुए वचनपत्र के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार बंधपत्र प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। (लेखापित) (रश्मि) जिला एवं अ0 सत्र न्या0–पंचम नवादा।	